पत्रांक :–3 / यो.1–03 / 2025(उ0शि0)........05/8045

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 11/04/2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न पोर्टल (08 पोर्टल) के निर्माण के पश्चात् एक वर्ष के लिए होस्टिंग चार्ज के रूप में रू0 1,36,80,000/– (एक करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय संकल्प संख्या 1094 दिनांक 08.07.2024**

आदेश :– स्वीकृत ।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के लिए तथा विभागीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी और आईसीटी सक्षम उपकरणों का लाभ उठाने की योजना बना रहा है ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और भविष्य की तत्परता में सुधार हो सके तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति'2020 का सफल कार्यान्वयन किया जा सके। इस निमित M/s CSC e-Governance Services India Limited के द्वारा विभाग अंतर्गत विभिन्न पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BS-निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 65.00 करोड़ (पैसठ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 30.00 करोड़ (तीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 95.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. JAP-IT के पत्रांक 2268 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा विभाग अंतर्गत तैयार कराये गये 08 पोर्टल का Infrastructure Analysis करते हुये एक वर्ष के लिए होस्टिंग चार्ज के रूप में रू0 1,36,80,000/– (एक करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. उपरोक्त कंडिका–3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न पोर्टल (08 पोर्टल) के निर्माण के पश्चात् एक वर्ष के लिए होस्टिंग चार्ज के रूप में रू0 1,36,80,000/– (एक करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपरोक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष– BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01– निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड– 21S220203102BS010679) (स्कीम कोड–2107) के अंतर्गत होगा।"

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

7. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो राशि की निकासी कर JAP-IT, Ranchi को उपलब्ध करायेंगे।

10. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

11/4/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–03/2025(उ0शि0) 05 बजट /रॉची, दिनांक– 11/04/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/4/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–03/2025(उ0शि0) 05 बजट /रॉची, दिनांक– 11/04/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्यौगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, रॉची/Officer on Special Duty, JAP-IT, Ranchi /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/4/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।